

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 41/2021

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2021/357

बउनवान

राज० सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों (प्रार्थी)

बनाम

श्री ओम प्रकाश पुत्र कृष्ण गालव जाति गालव निवासी वार्ड नं. 11, सेठों की गली, मांगरोल, जिला बारों(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स श्री रतलामी नमकीन, बस स्टैण्ड, मांगरोल जिला बारों (अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री अरुण सक्सेना खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक

(अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 11.01.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को मैसर्स श्री रतलामी नमकीन, बस स्टैण्ड, मांगरोल जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री ओम प्रकाश पुत्र कृष्ण गालव (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध "श्री रतलामी") 500 ग्राम पोलीपैक थैलियों में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध "श्री रतलामी") 500 ग्राम में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध "श्री रतलामी") 500 ग्राम की 04 पोलीपैक थैलियाँ वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री ओम प्रकाश पुत्र कृष्ण गालव (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 240/- रूपये (अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध"श्री रतलामी") 500 ग्राम** की 04 पोलीपैक थैलियों के मूल पैकेट को प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1082 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1082 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री ओम प्रकाश पुत्र कृष्ण गालव ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/363 दिनांक 24.12.2020 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 357/PHL/Kota/Act/2020/479 दिनांक 12.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध"श्री रतलामी") 500 ग्राम** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स श्री रतलामी नमकीन, बस स्टैण्ड, मांगरोल जिला बारां से सूचना चाही। मैसर्स रतलामी नमकीन, बस स्टैण्ड, मांगरोल जिला बारां द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र की छायाप्रति पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ज अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जर्ज प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध"श्री रतलामी") 500 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी के खिलाफ की गयी कार्यवाही गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर की गयी है। अप्रार्थी नमकीन में इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य तेल सीलबंद पीपों का इस्तेमाल करता है तथा अप्रार्थी ने कभी भी पामोलिन रिफाइण्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अप्रार्थी अच्छी गुणवत्ता के मसाले व खाद्य तेल इस्तेमाल करता है। अप्रार्थी का प्रतिष्ठान करीबन 25-30 वर्षों से लगातार सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 02.11.2020 को स्व. श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा भट्टी पर चढ़ी हुई कढ़ाई से गरम तेल का सेम्पल लिया गया था जिसमें भी रिफाइंड ऑयल ही था, पामोलिन ऑयल नहीं था। अप्रार्थी को एक ही विषय के 2 नोटिस दिये गये है जिनके क्रमांक 1226 व 1228 है जो कानूनन विधि विरुद्ध है न ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सेम्पल लिये गये तेल को मौके पर सीलड नहीं किया गया और न ही तेल के बदले 160 रुपये अदा किये गये। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जाँच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन(मांगरोल के प्रसिद्ध "श्री रतलामी") 500 ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 357/PHL/kota/Act/2020/479 दि. 12.11.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को राशि 10,000/- रुपये (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र) के आर्थिक जुर्माना राशि के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जय चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)